सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कम्पनी
CENTRAL RAILSIDE WAREHOUSE COMPANY LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
An ISO 9001:2008 Certified Company
सीआईएन : यू63023डीएल2007पीएलसी165676
CIN:U63023DL2007PLC165676

मिनी रत्न
Mini Ratna PSU

सं. सीआरडब्लूसी–I/ अवकाश नियमावली/17–18/279

दिनांक: 01.05.2017

परिपत्र

यह इस कार्यालय के दिनांक 16.08.2013 के परिपत्र सं. सीआरडब्लूसी–I/अवकाश नियमावली/13–14 के क्रम में है जिसमें कंपनी के कार्मिकों के लिए सीआरडब्लूसी अवकाश नियमावली 2012 के अंगीकरण हेतु निदेशक मंडल का अनुमोदन सूचित किया गया था। निदेशक मण्डल ने दिनांक 30.03.2017 को हुई अपनी 49वीं बैठक में सीआरडब्लूसी की महिला कर्मचारियों के लिए बालचर्या देखभाल अवकाश के अंगीकरण को अनुमोदित किया था जिसे तुरंत क्रियान्वयन हेतु सभी संबंधितों की सूचना तथा संदर्भ के लिए सीआरडब्लूसी की वेबसाइट www.crwc.in पर उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश संलग्न हैं।

संलग्नक: उपर्युक्त

रितेश
01/05/2017
(रितेश)
प्रबंधक (मानव संसाधन)

वितरण

1. उप महाप्रबंधक (एमएंडओ), उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) उप महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी) सीआरडब्लूसी निगमित कार्यालय, नई दिल्ली
2. कंपनी सचिव, सीआरडब्लूसी निगमित कार्यालय, नई दिल्ली
3. सभी टर्मिनल प्रबंधक
4. प्रबंधक (सूचना प्रोद्यौगिकी) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

प्रतिलिपि:

1. प्रबंध निदेशक की निजी सचिव, सीआरडब्लूसी निगमित कार्यालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ

सीआरडब्लूसी की महिला कर्मचारियों के लिए बालचर्या अवकाश (सीसीएल) प्रदान करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश

1. (क) वे महिला कर्मचारी जो कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर चुकी हैं तथा जिनके अव्यस्क बच्चें हैं उन्हें अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा महिला कर्मचारी की पूरी सेवा के दौरान दो बड़े जीवित बच्चों तक जिनमें कानूनी तौर पर गोद लिए बच्चे भी शामिल हैं, के पालन पोषण अथवा परीक्षा, बीमारी आदि की स्थिति में बच्चों की जरूरतों के लिए अधिकतम दो वर्ष (अर्थात 730 दिन) हेतु बालचर्या अवकाश (सीसीएल) प्रदान किया जा सकता है।

   (ख) यदि बच्चा 18 वर्ष या अधिक आयु का है तो बालचर्या अवकाश (सीसीएल) स्वीकार्य नहीं होगा। तथापि विकलांग बच्चों के मामले में सीसीएल प्रदान करने की कोई आयु सीमा नहीं होगी। विकलांगता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा परिभाषित की गई है। विकलांग बच्चों के मामले में बालचर्या अवकाश (सीसीएल) के दिनों की संख्या की उच्च सीमा 730 दिन ही रहेगी।

   (ग) सीसीएल को अधिकार के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पूर्व उचित अनुमोदन के बिना सीसीएल पर नहीं जा सकती।

2. दूसरे शब्दों में सीसीएल निम्नलिखित आधारों पर प्रदान की जाएगी।

   (i) पाँच वर्ष से कम आयु के छोटे बच्चो का पालन पोषण।

   (ii) अव्यस्क बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने अथवा परीक्षा के समय 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए मार्ग दर्शन प्रदान करना।

(iii) बच्चों की बीमारी। इसके लिए कर्मचारी को सीसीएल पर जाने से पूर्व अथवा सीसीएल का उपयोग करने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पूर्व पंजीकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा सीसीएल को स्वीकृत करने के अनुरोध को अर्जित अवकाश माना जाएगा।

3. महिला कर्मचारी को सीसीएल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाएगीः (संदर्भ–सीसीएल (अवकाश) चौथा संसोधन नियमावली, 2011)

(i) कैलेण्डर वर्ष में तीन बार से अधिक सीसीएल प्रदान नहीं की जाएगी।

(ii) सीसीएल का उपयोग करने लिए कोई न्यूनतम अवधि नहीं होगी।

(iii) सामान्यतः परिवीक्षा अवधि के दौरान सीसीएल नहीं दी जाएगी तथापि कुछ कठिन परिस्थितियों में जब अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की परिवीक्षा के अधीन महिला कर्मचारी की सीसीएल की आवश्यकता के संबंध में संतुष्टि हो जाती है तो इस प्रकार का अवकाश दिया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा अवकाश कम से कम स्वीकृत किया जाए।

4. सीसीएल को अर्जित अवकाश के रूप में माना जाएगा एवं स्वीकृत किया जाएगा। फलस्वरूप अवकाश की अवधि के दौरान शनिवार, रविवार, राजपत्रित अवकाश इत्यादि की गणना भी सीसीएल अवकाश में की जाएगी जैसा कि अर्जित अवकाश में मामले में होता है।

5. कठिन परिस्थितियों जैसे हस्पताल में भर्ती होने, बच्चें की गम्भीर बीमारी को छोड़कर सीसीएल के लिए आवेदन कम से कम 10 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीसीएल पर जाने से पूर्व इसके पास कोई कार्य, मामले इत्यादि लंबित नहीं है।

6. सीसीएल के लिए अलग अवकाश खाते का रख–रखाव किया जाएगा और यह संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के साथ रहेगा।

सीसीएल के दौरान विभिन्न लाभों की स्वीकार्यता

1. सीसीएल की अवधि के दौरान महिला कर्मचारी को अवकाश पर जाने से तुरंत पूर्व लिए जा रहे वेतन के समान अवकाश वेतन प्रदान किया जाएगा।

2. सीसीएल अवधि के दौरान कोई वेतन एवं भत्ते/पीआरपी नहीं दी जाएगी तथापि चिकित्सा लाभ एवं एचआर/लीज़ स्वीकार्यता के अनुसार देय होंगे।

3. सीसीएल की अवधि को अर्जित अवकाश (अर्जित अवकाश एवं अर्धवेतन अवकाश) तथा पदोन्नति की पात्रता के लिए **'अकार्य दिवस'** माना जाएगा। सीसीएल की अवधि को कंपनी के संबंधित वेतनमान में वृद्धि हेतु अर्हक सेवा के रूप नहीं माना जाएगा तथापि ग्रेच्युटी के लाभ के लिए सीसीएल की अवधि को सेवा निरंतरता माना जाएगा।

4. कर्मचारी नियमानुसार भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के लाभ के हकदार होंगी।

5. सीसीएल अन्य क़िसी प्रकार के अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) के साथ जोड़ी जा सकेंगी।

6. यदि सीसीएल के बारे में कोई अन्य अनुदेश/दिशानिर्देश यहाँ कवर नहीं हुए हैं तो सरकार के दिशा निर्देश लागू माने जाएगें।
इसके अतिरिक्त सीसीएल के संबंध में किसी खंड की व्याख्या अथवा मामले में कोई शंका होगी तो प्रबंध निदेशक का विवेक एवं निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

****